कानून की बातें

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६, और वन्य जीव (संरक्षण) संशोधित अधिनियम, २००६,

के तहत

बाघों के लिये अतिमहत्त्वपूर्ण आवास–स्थलों के संदर्भ में समुदायों के अधिकारों की मान्यता और पुनर्वास की वर्तमान स्थिती – एक रिपोर्ट

प्रस्तावना[1]

- अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों जैसे संरक्षित क्षेत्रों[2] के सुरक्षा एवं प्रबंधन के कार्य में लगे वन विभागों, और उन संरक्षित क्षेत्रों में तथा आसपास बसने वाले स्थानीय समुदायों के बीच विवादों का होते रहना सब की जानकारी में है। संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की देश की नीति पश्चिमी देशों को आदर्श मान कर बनाई गई थी। इसमें स्थानीय समुदायों को इन क्षेत्रों से दूर रखते हुए अक्षत प्रदेश बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि वन्य जीव तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन मानवीय बाधा या हल–चल से सुरक्षित रहें।
- भारत के संरक्षित क्षेत्रों के भीतर लगभग ३० लाख लोग बसे हुए हैं और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर वे निर्भर हैं। उनमें से ज़्यादातर अनुसूचित जनजातियों के परिवार हैं। संरक्षित क्षेत्रों के भीतर या उनके आसपास बसने वाले समुदायों को ऐसे क्षेत्रों की प्रबंधन व्यवस्था से दूर रखे जाने के कारण उनका संरक्षण करने से जुड़ी जो पारंपरिक प्रथाएँ थी, वे टूट चुकी हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि जो समुदाय पहले ही समाज के हाथिये पर हैं, उनको आर्थिक दरिद्रता भी सहनी पड़ रही है। आजीविका के लिये आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता खो जाने तथा विस्थापित एवं सताये जाने की वजह से अन्य मुश्किलें भी उन्हें सहनी पड़ती हैं। इस परिस्थिति में संरक्षित क्षेत्रों को मानवीय हस्ताक्षेप से सुरक्षित रखने के लिये दबाव के तंत्र के इस्तेमाल से स्थानीय लोगों के मन में वन्य जीव प्रबंधन से जुड़े लोगों और वन विभाग के कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक रुख़ हो गया है। लोगों का विपरीत व्यवहार कभी–कभी विवाद का रूप ले लेता हैं।
- एक अनुमान के अनुसार लगभग ६५,००० परिवारों को TR के मुख्य (आंतरिक) या 'कोर' तथा उपांत (बाहरी) या 'बफ़र' क्षेत्रों में से स्थानांतरित करने की आवश्यकता है[3]।
- देश में मुश्किल से कहीं पुनर्वास सफ़ल हुआ है। और संरक्षित क्षेत्रों के 'कोर' तथा 'बफ़र' क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों का गुजर बसर होता ही रहेगा। इन दो बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि पुनर्वास के लिये बुनियादी सिद्धांतों और रणनीतियों को बनाने के साथ–साथ सह अस्तित्व के लिये रणनीति बनाने की भी अति आवश्यकता है।

CTH क्या होते हैं?

WLPA, 2006, के सेक्शन 38 V(4) के अनुसार TR के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित हैं :

i) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में स्थित बाघों के 'कोर' (मुख्य) क्षेत्र याने CTH
   - जिनको बाघों के संरक्षण के लिये (स्थानीय अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वन निवासियों के अधिकारों पर प्रभाव डाले बिना) अतिक्रमण से बचाये रखने के लक्ष्य के लिये वैज्ञानिक और उद्देश्यपरक मानदंडों के आधार पर स्थापित किया गया है,
   - और जो राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श के आधार पर खुद राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हैं;

ii) 'बफ़र' (CTH के आसपास का) क्षेत्र, जो इसी प्रकार सेक्शन 38 V(4) में शमिल स्पष्टीकरण (i) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है,
   - जहाँ बाघों का विचरण हो सके और जहाँ बाघों के अतिमहत्त्वपूर्ण आवास स्थल की अखण्डता के लिये अधिवास के संरक्षण की आवश्यकता कम मात्रा में हो,
   - और जहाँ लोगों और वन्य जीवों के सह अस्तित्व को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य के साथ स्थानीय समुदायों की आजीविका, विकास की, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की मान्यता हो,
   - और जिस की सीमाओं को वैज्ञानिक और उद्देश्यपरक मानदंडों के आधार पर ग्राम सभा और इस उद्देश्य के लिये गठित की गई विशेषज्ञ समिति के परामर्श के आधार पर तय किया गया हो।

---

१. कानून में पाये गये कुछ महत्त्वपूर्ण अंग्रेज़ी शब्दों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। उदा. टाईगर रिज़र्व (Tiger Reserve) मतलब TR। कृपया उनका विवरण पान ११ पर देखिये।

२. यह रिपोर्ट 'TR' और 'CWH' से समुदायों के पुनर्वासस्थानांतरण के विषय में WLPA, 2006, और FRA, 2006, के प्रावधानों के विश्लेषण और व्याख्याओं पर आधारित है। मेलघाट तथा सरिस्का के 'TR' क्षेत्रों के दौरे से, तथा मेलघाट स्थित गैरसरकारी संस्थान 'खोज' से और अलवर स्थित गैर सरकारी संस्थान 'कृपाविस' से जानकारी पाई गई। नदी घाटी मोर्चा, बैगा महापंचायत और ईक्रेशन्ज़ संस्थानों ने दिसंबर २०१० में बनाया हुआ रिपोर्ट 'लँड राइट्स वायोलेशन्ज़ ॲट अचनकमार वाइल्डलाइफ़ सँक्च्युअरी, छत्तीसगढ़' का संदर्भ भी लिया गया। NTCA से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध हुई अन्य जानकारी भी उपयुक्त रही।

३. 'टायगर टास्क फ़ोर्स' की रिपोर्ट 'ज्वाइनिंग द डॉट्स', २००५, से मिली जानकारी।

CTH कैसे घोषित किये जाते हैं?

१६ नवंबर २००७ को NTCA ने WLPA के सेक्शन 38 (V) के प्रावधानों के अनुसार TR में 'कोर' क्षेत्रों को पहचान कर उनको घोषित करने के लिये दिशानिर्देश जारी किये थे।

CTH घोषित करने की प्रक्रिया तीन चरणों में होती है :

- 'कोर' या CTH क्षेत्र की पहचान, विशेषज्ञ समिति के साथ परामर्श, और वैज्ञानिक और उद्देश्यपरक मापदंडों के आधार पर निर्धारित हो।
- 'बफ़र' क्षेत्र की पहचान विशेषज्ञ समिति के साथ–साथ विशिष्ट ग्राम सभा के परामर्श पर आधारित हो।
- 'अक्षत' क्षेत्र का निर्माण पहचाने गये 'कोर' या CTH क्षेत्र के आधार पर, एवं कानूनी प्रक्रिया के जरिये, समुदायों के स्थानांतरण द्वारा किया गया है।

स्थानांतरण के ज़रिये अक्षत क्षेत्र का निर्माण – वैधानिक प्रावधान

WLPA, 2006 और FRA, 2006 – दोनों ने सह अस्तित्व पर ज़ोर देने के साथ और वन्य जीवों के लिये मनुष्यों से मुक्त क्षेत्रों के निर्माण के लिये स्थानांतरण से पहले निम्नलिखित प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता बतायी है।

WLPA, 2006 के प्रावधान

सेक्शन 38 V(5) के अनुसार – वन विभाग और वन निवासियों ने आपस में सहमत हो कर बनाई गयी शर्तों पर वन निवासी स्वेच्छा से पुनर्वास कर सकते हैं, बशर्ते कि इस सब सेक्शन की आवश्यकताओं को पूरा करती हो। अन्यथा, बाघों के संरक्षण के लिये अक्षत क्षेत्र के निर्माण के उद्देश्य से अनुसूचित जनजातियों का या अन्य वन निवासियों का स्थानांतरण कराने से पहले, और उनके अधिकारों को किसी भी प्रकार घटाने से पहले, निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा :

१ अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वन निवासियों के अधिकारों का निर्धारण, मान्यता की प्रक्रिया, और साथ ही उनके भूमि–अधिकारों या वन–अधिकारों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिये।

२ क्षेत्र में बसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन निवासियों की सहमति और क्षेत्र के पर्यावरण और समाज से परिचित किसी वैज्ञानिक के परामर्श पर, राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा इस अधिनियम के तहत दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्धारित किया जाना चाहिये कि अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन निवासियों के उस क्षेत्र में मौजूद होने के कारण, या उनके क्रियाशील रहने से वन्य जीवों को भरपायी न होने वाला नुकसान होगा, और बाघों तथा उनके अधिवासों को ख़तरा पैदा होगा।

३ क्षेत्र में बसने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन निवासियों की सहमति और क्षेत्र के पर्यावरण और समाज से परिचित किसी स्वतंत्र वैज्ञानिक के परामर्श पर राज्य सरकार इस नतीजे तक पहुँची हो कि वन निवासियों की वन्य जीवों को हानि पहुँचाये बिना उनके साथ जंगल में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है।

४ पुनर्वास या वैकल्पिक 'पैकेज' बनाया गया हो जो प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों की आजीविका का प्रबंध करे और R&R की नीति में दी गई शर्तों को पूरा करे।

५ पुनर्वास योजना की जानकारी स्थानीय ग्राम सभा एवं प्रभावित व्यक्तियों को देने के साथ दोनों की सहमति लेना आवश्यक है।

६ इस योजना के तहत पुनर्वास के स्थल में सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के अलावा भूमि का आवंटन भी किया जाना चाहिये। अन्यथा लोगों के वर्तमान अधिकारों में कोई हस्ताक्षेप नहीं किया जायेगा।

क्रेडिट : कृपाविस

सरिस्का (राजस्थान) के बख्तपुरा गाँव में समुदाय के नेताओं को प्रकृति संरक्षण और अधिकारों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

FRA, 2006, के प्रावधान

वन अधिकार कानून के तहत राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के अंतर्गत बाघों के अतिमहत्त्व के निवास स्थानों में वन अधिकारों को मान्यता दी गयी है। इन अधिकारों को बाद में बदला या तय (निर्धारित) किया जा सकता है। इस कानून के तहत वन्य जीवों

के संरक्षण के लिये किसी भी वन अधिकार धारक का पुनर्वास उस वक्त तक नहीं होगा जब तक नीचे बतायी गयी शर्तें पूरी नहीं होती हों –

१ सभी विचाराधीन क्षेत्रों में सेक्शन ६ के अनुसार अधिकारों के निर्धारण तथा मान्यता की प्रक्रिया को पूरा किया गया हो;

२ राज्य सरकार की एजेन्सियों द्वारा WLPA, 1972 के तहत साबित किया गया हो कि अधिकार धारक वहाँ मौजूद होने के कारण, या उनके वहाँ कार्यरत रहने के कारण वन्य जीवों की हानि की भरपाई नहीं हो पायेगी और उस प्रजाति को तथा उनके आवास स्थल के अस्तित्व को ख़तरा होगा;

३ राज्य सरकार इस निष्कर्ष तक पहुँची हो कि अन्य उपयुक्त विकल्प जैसे कि सह अस्तित्व उपलब्ध नहीं है;

४ केंद्र सरकार के अधिनियमों तथा उनकी नीति में बतायी गई लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला पुनर्वास या वैकल्पिक 'पैकेज' (जिसमें प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों की सतत आजीविका के लिये प्रबंध शामिल हैं) बनाकर उस पर समुदाय के व्यक्तियों के साथ चर्चा हुई है;

५ उस क्षेत्र की ग्राम सभाओं को प्रस्तावित पुनर्वास योजना की सारी जानकारी दे कर पैकेज के लिये उनकी लिखित सहमति प्राप्त की गई है;

६ प्रस्तावित (सब की सहमति से निर्धारित) पैकेज के अनुसार पुनर्वास स्थल में सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के बाद और भूमि का आवंटन पूरा किये जाने के बाद ही पुनर्वास किया जा सकता है।

FRA के सेक्शन 4(5) के अनुसार जब तक मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तब तक किसी परंपरागत वन निवासी आदिवासी समुदाय या अन्य परंपरागत वन निवासी समुदाय के किसी भी सदस्य को उसके कब्ज़े में जो वन भूमि हो, उससे विस्थापित नहीं किया जायेगा।

- सितंबर २००८ में NTCA ने दिशानिर्देश जारी किये, जिन में स्पष्ट किया गया है कि 'कोर' क्षेत्रों/CTHs में बसे गाँवों का पुनर्वास FRA, 2006 में बताये गये प्रावधानों के अनुसार किया जाये।
- इन दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि नये TR में 'कोर' क्षेत्रों/CTHs को पहचानने में WLPA के सेक्शन 38(V) के साथ साथ FRA के सेक्शन 4(2) और 4(5) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही हो।

मौजूदा स्थिति

३८ TR में CTH के लिये अधिसूचना जारी की गयी है। उनमें से ३१ CTH स्थलों को एक ही महीने की अवधि में – (दिसंबर २००७ में) – घोषित किया गया था। सभी ३१ क्षेत्रों को अक्षत क्षेत्र, मतलब मनुष्यों से मुक्त क्षेत्र बनाने की कोशिश की गई है। CTH क्षेत्रों में बसे ७६२ गाँवों का चरणों में पुनर्वास कराने की योजना बनाई गई है। कुल ४८,५४९[४] परिवारों का पुनर्वास किया जायेगा।

NTCA द्वारा प्रकाशित पुनर्वास के लिये दिशानिर्देश...

WLPA, 2006 और FRA, 2006, इन दोनों ही अधिनियमों में बाघों या अन्य वन्य जीवों के लिये अक्षत क्षेत्र निर्माण करने के लिये लोगों (अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वन निवासियों) के अधिकारों की वन क्षेत्रों में स्थित संरक्षित वन क्षेत्रों के कोर वन्य जीव क्षेत्र/CTH में मान्यता के लिये और उनके परिवर्तन के लिये और मुआवज़ा दे कर लोगों का पुनर्वास कराने के लिये प्रावधान हैं।

केंद्र सरकार की 'प्रोजेक्ट टायगर' योजना के तहत लोगों के पुनर्वास के लिये पैकेज देने के अलावा उनके अधिकारों के लिये मुआवज़ा देने की आवश्यकता है।

जो समुदाय पुनर्वास करना चाहते हैं उनके लिये प्रस्तावित किये गये 'पैकेज' में दो विकल्प उपलब्ध हैं :

विकल्प १ : प्रत्येक परिवार को रू. १० लाख का मुआवज़ा दिया जायेगा। जो परिवार इसे चुनेगा, वन विभाग उसका कोई पुनर्वास नहीं करेगा।

विकल्प २ : वन विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्र या TR के बाहर परिवार का पुनर्वास किया जायेगा।

१ विकल्प १ चुना जाये तो ज़िला मॅजिस्ट्रेट को शामिल कर के निगरानी प्रक्रिया आरंभ की जाये, जिसमें परिवार मुआवज़े की रक़म के ज़रिये पुनर्वास करना सीखें। हो सके तो अन्य एजेन्सियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करा के, जहाँ तक हो सके, मुआवज़े की रक़म को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराएँ ताकि भविष्य में उस पर मिले ब्याज को संग्रहित कर एक बड़ी रक़म उपलब्ध हो।

---

४. 'सूचना के अधिकार' (RTI) के द्वारा NTCA से प्राप्त जानकारी।

२ विकल्प २ चुना जाये तो हर परिवार के लिये रू. १० लाख के निम्नलिखित 'पैकेज' का प्रस्ताव रखा जाता है[५]

क	२ हेक्टेर कृषि भूमि खरीद कर उसका विकास करना	पूरे मुआवज़े के ३५ प्रतिशत
ख	अधिकारों के लिये मुआवज़ा	पूरे मुआवज़े के ३० प्रतिशत
ग	घर और कृषिफार्म बनाना	पूरे मुआवज़े के २० प्रतिशत
घ	प्रोत्साहन	पूरे मुआवज़े के ५ प्रतिशत
ङ	समुदाय के लिये सुविधाएँ, रास्ता, सिंचन के लिये प्रबंध, पेयजल, सफ़ाई, बिजली की सुविधाएँ, यातायात के साधन, समुदाय केंद्र, प्रार्थना स्थल और दफनभूमि श्मशान भूमि	पूरे मुआवज़े के १० प्रतिशत

३ स्थानांतरण प्रक्रिया की निगरानी/कार्यान्वयन दो समितियाँ करेंगी :

राज्य स्तरीय निगरानी समिति

क.	राज्य के मुख्य सचिव	अध्यक्ष
ख	संबंधित विभागों के सचिव	सदस्य
ग.	राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य
घ.	संबंधित व्याघ्र संरक्षण संस्थान के अशासकीय सदस्य	सदस्य
ङ.	मुख्य वन्य जीव संरक्षक	सदस्य सचिव

अन्य विभागों के साथ ताल मेल रखने के लिये ज़िला स्तरीय क्रियान्वयन समिति

क.	ज़िल्लाधीश या ज़िले के कलेक्टर	अध्यक्ष
ख.	सी.ई.ओ. मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.)	सदस्य
ग.	स्वास्थ, कृषि, समाज कल्याण, आदि विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य
घ.	अभयारण्य या TR के उप निदेशक	सदस्य सचिव

NTCA द्वारा १९ मार्च २००८ को प्रकाशित किये गये दिशा दर्शक तत्त्वों के अनुसार परिवार शब्द की परिभाषा

परिवार में व्यक्ति के साथ उसका पति या पत्नि, तथा नाबालिग बेटे, अविवाहित बेटियाँ, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, पिता, माता, और उसके साथ रहनेवाले तथा आजीविका के लिये उस पर आश्रित अन्य रिश्तेदार शामिल हैं; व्यक्ति के साथ उसका पति या पत्नि और उनके नाबालिग बच्चों से बना विभक्त परिवार भी इसमें शामिल है।

TR से पुनर्वास कराने से पहले क्या किया जाये? एक चेकलिस्ट

WLPA, 2006 और FRA, 2006 इन दो अधिनियमों के अनुसार जो कदम उठाना अनिवार्य है उनको मिला कर यह सूची बनाई गई है।

WLPA, 2006 के अनुसार स्थानांतरण स्वेच्छा से होना चाहिये और उसकी शर्तें कानून के अनुसार तथा वन विभाग के अधिकारियों और वन निवासियों को मंजूर होनी चाहिये। दोनों अधिनियमों में स्पष्ट की गई शर्तों का अनुपालन किये बिना बाघों के संरक्षण के लिये अक्षत क्षेत्र बनाने में किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का या अन्य वन निवासी का पुनर्वास नहीं किया जा सकता है और न ही उसके अधिकारों पर प्रभाव ड़ाला जा सकता है। FRA, 2006 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में वन्य जीवों के लिये अतिमहत्त्वपूर्ण आवास स्थलों में मान्यता प्राप्त वन अधिकारों को बाद में बदला जा सकता है या उनका पुन: निपटारा भी किया जा सकता है, लेकिन इस शर्त पर कि अक्षय क्षेत्रों को निर्माण करने के उद्देश्य से स्थानीय वन अधिकार धारकों का पुनर्वास कराना हो तो अधिनियम में स्पष्ट की गई सारी शर्तों को पहले पूरा करना पड़ेगा।

इन दोनों अधिनियमों के अनुसार स्थानांतरण कराने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक हैं। अगर प्रक्रिया का कुछ हिस्सा अनदेखा किया गया हो तो पुनर्वास कानून के अनुसार नहीं होगा।

- अनुसूचित जनजातियों के तथा अन्य वन निवासी व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देने और भूमि या वन अधिकारों के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिये;
- क्षेत्र में बसने वाली अनुसूचित जनजातियों की तथा अन्य वन निवासियों की सहमति के साथ, और स्थानीय स्थिति से परिचित पारिस्थितिकीय वैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्र के वैज्ञानिकों के परामर्श के अनुसार, राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों को साबित कर देना चाहिये कि उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य वन निवासी मौजूद होने और उनके सक्रिय रहने से वन्य जीवों को अपरिवर्तनीय हानि पहुँचेगी और बाघों और उनके आवासों का अस्तित्व ख़तरे में पड़ेगा;
- क्षेत्र में बसने वाली अनुसूचित जनजातियों की तथा अन्य वन निवासियों की सहमति के साथ और स्थानीय स्थिति से परिचित स्वतंत्र पारिस्थितिकीय वैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्र के वैज्ञानिकों के परामर्श के आधार पर, राज्य सरकार इस

५. केंद्रिय सरकार की प्रोजेक्ट टायगर योजना के फरवरी २००८ के संशोधित दिशा दर्शक में उपलब्ध जानकारी।

नतीजे तक पहुँची हो कि वन क्षेत्र में वन निवासियों के लिये वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व के अन्य उचित विकल्प उपलब्ध नहीं हैं;

- पुनर्वास की योजना या विकल्प 'पैकेज' बनाया गया हो जो प्रभावित व्यक्तियों की तथा समुदायों की आजीविकाओं के प्रबंध के साथ R & R की नीति के आदेशों का पालन करता हो;
- पुनर्वास योजना के लिये प्रभावित व्यक्तियों तथा स्थानीय ग्राम सभा की स्वतंत्र सहमति लिखित रूप में प्राप्त की गई हो;
- इस योजना के अनुसार पुनर्वास के लिये चुने गये स्थान में सुविधाओं का प्रबंध और भूमि का आवंटन किया गया हो (अगर इस प्रकार प्रबंध नहीं किया गया हो तो समुदायों के तथा उनके सदस्यों के मौजूदा अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा)।

अगर ऊपर दी गई किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया गया हो, तो जिस स्थान पर अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वन निवासी (आदमी या औरत) का कब्ज़ा हो, वहाँ से उसे बेदख़ल नहीं किया जा सकता।

वर्तमान में चार संरक्षित क्षेत्रों में चल रही पुनर्वास प्रक्रिया की जानकारी[६]

TR का नाम	'कोर' क्षेत्र से पुनर्वास कराने योग्य गाँवों की संख्या (२००९ से ले कर)	परिवारों की संख्या
सिम्लीपाल TR (ओडिशा)	४ गाँव (२००९ में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार)	१२२
अचनकमार (छत्तीसगढ़)	२५ गाँव (२००९ में ६ गाँवों का पुनर्वास किया गया)	१७७४
मेलघाट (महाराष्ट्र)	२८ गाँव (१६ गाँवों के पुनर्वास का प्रस्ताव रखा गया है)	२६११ (१६ गाँव)
सरिस्का (राजस्थान)	२८ गाँव (पहले चरण में ११ गाँव)	२२५४

इन ४ संरक्षित क्षेत्रों में ऊपर दी गई कानूनी शर्तों को पूरा करने की स्थिति

१. क्या अनुसूचित जनजातियों के तथा अन्य वन निवासी व्यक्तियों के अधिकारों की मान्यता की और भूमि या वन अधिकारों के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई है?

वन विभागों का दावा

- सरिस्का के वन विभाग ने NTCA को बताया है कि जिन गाँवों का पुनर्वास करने का निर्णय किया गया है उन गाँवों में अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी की गई है।
- मेलघाट में दावों की प्रक्रिया खत्म होने के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी। यहाँ के वन विभाग ने यह भी कहा है कि पहले चरण में ५ गाँवों का पुनर्वास किया जाने वाला है क्योंकि वहाँ पर FRA, 2006 के तहत कोई दावा दर्ज नहीं किया गया है।
- सिम्लीपाल तथा अचनकमार में पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है।

अवलोकन में स्पष्ट हुआ है कि,

- सरिस्का में वन अधिकार अधिनियम का कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ है।
- सिम्लीपाल में दावे दर्ज किये गये हैं और निर्णय की प्रतीक्षा है, लेकिन पुनर्वास किया जा रहा है।
- मेलघाट में वन अधिकार समितियाँ बनाई गई हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। गाँव के कुछ लोगों को व्यक्तिगत पट्टे दिलाने से संबंधित प्रावधानों (सब सेक्शन 3(1) a) की जानकारी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अन्य प्रावधानों विशेष कर समुदाय के संसाधनों पर उनके अधिकार का दावा करने के बारे में (सब सेक्शन 3(1) i) कोई जानकारी नहीं है; इसके अलावा सरकारी विकास सुविधाओं का प्रबंध करने के लिये वन क्षेत्र का परिवर्तन कराने से संबंधित अधिकार (सब सेक्शन 3(2)) की कोई जानकारी नहीं है।
- अचनकमार में केवल व्यक्तिगत दावे दर्ज किये गये हैं और मान्य भी किये गये हैं परन्तु समुदाय के अधिकारों की कोई मान्यता नहीं मिली है। जहाँ लोगों के व्यक्तिगत दावों की मान्यता मिली है, वहाँ यह माना जा रहा है कि लोगों को स्वेच्छा से उसी स्थान पर रहने के विकल्प को दिये बिना उनके पुनर्वास की प्रक्रिया की शुरूआत हुई है। इसलिये यह लोग समझते हैं कि अब ऐसे परिवारों का कानूनी तौर पर पुनर्वास किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझता है कि अधिकारों की मान्यता का मतलब है कि अधिकार धारकों ने खुद चाहा तो वन ही में रहने का विकल्प उन्हे मिला है।

२. क्या समुदायों की उपस्थिति के कारण प्रत्येक TR क्षेत्र में भरपायी न होने वाली हानि से जुड़ा अध्ययन उपलब्ध है? राज्य सरकार इस नतीजे तक कैसे पहुँची है कि वन क्षेत्र

६. यह जानकारी 'राइट टू इन्फर्मेशन' के जरिये NTCA से मिली है।

में वन्य जीवों के साथ वन निवासियों के सह अस्तित्व की कोई गुंजाइश नहीं है?

वन विभाग का दावा

- 'कोर' क्षेत्र को अक्षत रखने के लिये गाँवों का पुनर्वास कराना चाहिये। CTH में सह अस्तित्व का विकल्प नहीं है।

अवलोकन में स्पष्ट हुआ है कि

- इस परिक्षेत्र में समुदाय तो पीढ़ियों से बसे हुए हैं। सरिस्का, सिम्लीपाल और अचनकमार जैसे क्षेत्रों में समुदायों का वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व रहा है और यह साबित किया जा सकता है कि प्रकृति का संरक्षण करना उनकी परंपरा रही है।
- यह मुमकिन है कि कुछ प्रथाएँ बाघों के संरक्षण से पूरी तरह मेल नहीं रखती हो। फिर भी, इस मुद्दे को आपसी समझ, नित्य संवाद, निर्णय प्रक्रिया में समुदायों को शामिल कर, तथा अनुसंधान और वन्य जीवों से जुड़े अन्य कार्य में समुदायों के सहयोग के ज़रिये सुलझाया जा सकता है। समुदायों के साथ हुई चर्चाओं से यह स्पष्ट हुआ है कि आजीविकाओं से जुड़ी उनकी प्रमाणित आवश्यकताएँ वनों के सहारे पूरी करने की अगर उन्हे अनुमति हो तो वे वन ही में रहना चाहेंगे। समुदायों ने कहा है कि वे प्रकृति के संरक्षण में सहयोग देना चाहते हैं। इस प्रकार की सहयोगी प्रबंधन व्यवस्था बहुत से क्षेत्रों में चलाई जा सकती है, जिस से सह अस्तित्व और सतत प्रबंधन व्यवस्था के विकल्प भी तैयार होते हैं।

३. क्या पुनर्वास योजना या वैकल्पिक पैकेज बनाया गया है? क्या उसमें प्रभावित व्यक्तियों व समुदायों की आजीविका के लिये प्रबंध किया गया है? क्या R & R की नीति में दी गई आवश्यकताओं को वह पूरा करता है?

वन विभाग का दावा

- राज्यों के वन विभागों ने सरिस्का, मेलघाट, सिम्लीपाल और अचनकमार में बसे गाँवों के पुनर्वास की योजानाएँ NTCA को प्रस्तुत की हैं।

अवलोकन में स्पष्ट हुआ

- इन योजनाओं को ग्राम सभाओं में चर्चा के लिये प्रस्तुत किये जाने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। केंद्र सरकार के अनुसार १० लाख रूपयों के मपैकेजफमें से ३० प्रतिशत रक़म अधिकारों के लिये मुआवज़े के रूप में दी जानी चाहिये। लेकिन सरिस्का में स्थित उमरी गाँव में हुई एक सभा के ब्यौरे में अधिकारों के लिये ३ लाख रूपयों के मुआवज़े का कोई उल्लेख नहीं है। इस ब्यौरे में लिखा गया है कि १९९९ में ज़िलाधीश के आदेश से अधिकारों की मान्यता हुई थी। परन्तु उपलब्ध दस्तावेज़ो से यह स्पष्ट नहीं होता है कि पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल परिवारों को ३० प्रतिशत मुआवज़ा नहीं दिया जायेगा?
- सरिस्का में वन विभाग ने 'विकल्प १' या '२' में से किसी एक को चुनने की अंतिम तारीख तय की थी। स्थानांतरण को अस्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं दिया गया था। वन विभाग ने कह दिया था कि अगर लोग अंतिम तारीख तक निर्णय नहीं करेंगे तो यह माना जायेगा कि उन्होंने नक़द रक़म की माँग की है; स्थानांतरण के विकल्पो में परिवारों के स्थानांतरित न होने के विचार को नज़रंदाज़ किया गया था।
- मेलघाट में लोगों को यह पता तक नहीं चला कि सहमति पत्र नक़द रक़म के लिये थे या स्थानांतरण के लिये, लेकिन फिर भी उन्हे सहमति पत्र पर दस्तखत करने पड़े!

'सह अस्तित्व मुमकिन नहीं है' इस दावे को साबित करने वाले कोई सबूत नहीं मिले हैं। अधिनियम के एक? किसी प्रावधान को गलत समझा गया है कि किसी भी परिस्थिति में लोग TR के 'कोर' क्षेत्र में नहीं रह सकेंगे। समुदायों के अधिकारों में बदलाव लाने का उल्लेख FRA, 2006 में है। इस विकल्प के इस्तेमाल किये जाने का कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता। आपसी संवाद और समझौते ('नेगोसिएशन') के माध्यम से हानिकारक उपक्रमों को बदला जा सकता है या रोका भी जा सकता है। लेकिन इस विषय में समुदायों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो लोग स्थानांतरण के लिये तैयार हैं उनके पुनर्वास को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिये।

क्रेडिट : नीमा पाठक ब्रूम

मेलघाट (महाराष्ट्र) में स्थित गाँवों के समुदायों की सभा

४. क्या अधिकारों का सत्यापन करने, और उनकी मान्यता की प्रक्रिया को पूरा किये बिना किसी वन निवासी अनुसूचित जनजाति या अन्य वन निवासी समुदाय के किसी सदस्य को उसके कब्ज़े में रही भूमि से विस्थापित, या बेदख़ल किया गया है?

वन विभाग का दावा

- जहाँ भी पुनर्वास किया जा रहा है, FRA के सेक्शन 4(5) के प्रावधानों को पूरा करने के बाद ही किया जा रहा है।

अवलोकन में स्पष्ट हुआ है कि

- उपरोक्त पर्णित (ऊपर बताये गये) ४ TR क्षेत्रों में अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है।
- मेलघाट स्थित वैराट गाँव (जिसका पुनर्वास किया जा रहा है) ने समुदाय के अधिकारों का दावा दर्ज किया था। लेकिन वन विभाग के स्थानीय 'रेंजर' अधिकारी ने उनको लिखित जवाब दिया कि TR क्षेत्र में अधिकारों का दावा नहीं दर्ज किया जा सकता। संरक्षित क्षेत्रों में व्यापार के लिये गौण वन उपजों को इकट्ठा न करने के बारे में FRA लागू होने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के दिये हुए आदेश का ज़िक्र भी उन्होंने किया।
- FRA के सेक्शन 3(1) i के तहत समुदाय के वन अधिकारों पर दावा दर्ज करने के विकल्प के बारे में ज़्यादातर समुदायों को कोई जानकारी नहीं है। इसलिये उन्होंने समुदाय के संसधन अधिकारों का दावा दर्ज नहीं किया है। नतीजा यह हुआ है कि वन विभाग ने कल्पना कर ली है कि कोई दावे नहीं हैं, और उन्होंने घोषणा की है कि अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है जब कि ऐसी कोई प्रक्रिया आरंभ ही नहीं हुई थी।
- जिन गाँवों का स्थानांतरण हो चुका है – वहाँ अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया नहीं हुई थी जैसे ओडिशा में सिम्लीपाल एवं राजस्थान में सरिस्का के गाँवों में हुआ था।

५. क्या प्रभावित लोगों को और स्थानीय ग्राम सभाओं को पुनर्वास योजना की पूरी जानकारी दी गई थी? क्या प्रभावित लोगों की सहमति ली गई थी?

वन विभाग का दावा

सरिस्का और मेलघाट के वन विभागों ने प्रमाणित किया है कि वहाँ पुनर्वास के लिये सहमति प्राप्त की गई थी और FRA के तहत अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया था। मेलघाट में और सरिस्का में वन विभाग ने पुनर्वास की योजनाएँ भी बनाई हैं।

अवलोकन में स्पष्ट हुआ है कि

- केवल प्रभावित परिवारों से ही सहमति माँगी गई थी – ग्राम सभा से नहीं। ग्राम सभा से सहमति पाने की कोशिश की गई थी, इस बात को साबित करने वाले कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हुए हैं। सरिस्का में दो ग्राम पंचायतों ने लिखित रूप में स्थानांतरण न करने की इच्छा जाहिर की है। मेलघाट में दो ग्राम सभाओं ने भी स्थानांतरण न करने का फैसला किया है। दोनों मामलों में वन विभाग का दावा है कि उन गाँवों ने नक़द रक़म में मुआवज़ा माँगा है।
- सहमति पूर्व "जानकारी" तो इसी बात की दी गई थी कि पुनर्वास के दो विकल्प उपलब्ध हैं : नक़द रक़म और जमीन के बदले जमीन।
- लोगों को यह "जानकारी" भी दी गई थी कि जो गाँव किसी एक विकल्प को नहीं चुनते हैं तो भविष्य में उनके द्वारा वे स्थानांतरण करने पर मुआवज़ा मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सरिस्का में स्थित समुदायों को बताया गया कि मुआवज़े के तौर पर जमीन मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, केवल नक़द रक़म मिल सकती है।
- समुदायों को यह "जानकारी" भी दी गई कि TR में बसे गाँवों में रहने में आनेवाली कठिनाइयाँ भविष्य में दिन–ब–दिन बढ़ती ही जायेंगी, क्योंकि लोगों को संसाधनों का उपयोग करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन FRA के सेक्शन 3(1) i के तहत वन संसाधनों पर दावा लगाने के विकल्प के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई।

६. क्या पुनर्वास योजना के अनुसार पुनर्वास के स्थल पर पर्याप्त सुविधाओं का प्रबंध किया गया है? क्या वहाँ पर भूमी का आवंटन किया गया है? (अगर नहीं किया गया हो तो लोगों के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।)

वन विभाग का दावा

- स्थानांतरण की प्रक्रिया तो WLPA और R & R की नीति के प्रावधानों के अनुसार ही चल रही है।

अवलोकन में स्पष्ट हुआ है कि

- सरिस्का में स्थित उम्री गाँव को दिये गये दस्तावेज़ में लिखा गया है कि पेय जल, रास्ता और स्कूलों जैसी सुविधाएँ तो तभी दी जाएँगी जब लोग स्थानांतरण करेंगे। यह बात FRA के सेक्शन 3(2) का उल्लंघन करती है। दस्तावेज़ में यह भी लिखा गया है कि सिंचाई की व्यवस्था गाँव को खुद करनी पड़ेगी।

- अचनकमार के लिये नदी घाटी मोर्चा, बैगा महापंचायत और इक्केशन्ज़ संस्थानों ने मिलकर बनाई हुई रिपोर्ट बताती है कि पुनर्वास स्थल में अभी तक स्कूलों या सार्वजनिक स्वास्थ केंद्रों का निर्माण नहीं किया गया है। तीन गाँवों में एक एक 'बोरवेल' मतलब कुआँ बनाया गया है, लेकिन उनमें से केवल एक से पानी मिलता है। बाकी दो कुओं के न चलने के कारण गाँवों की महिलाओं को लगभग एक किलोमीटर तक पैदल पीने तथा नहाने–धोने के लिये पानी लाना पड़ता है।
- सिम्लीपाल संरक्षित क्षेत्र में बसे एक गाँव का बिना किसी स्थाई सुविधाओं के संरक्षित क्षेत्र के बाहर पुनर्वास किया गया है। गाँव को ग्रीष्म ऋतु की गरमी में अस्थायी 'टिन' के झोंपड़े दिये गये थे। सिम्लीपाल की पुनर्वास प्रक्रिया की बहुत कठोर आलोचना की गई है। साथ ही FRA के कार्यान्वयन की जांच कराने के लिये सरकार द्वारा गठित की गई राष्ट्रीय समिति ने भी कहा है कि इस प्रक्रिया में FRA का उल्लंघन हुआ है।

व्यक्तियों से सहमति प्राप्त करने की कोशिशें तो की गई हैं लेकिन ग्राम सभाओं से कोई सहमति नहीं माँगी गई है। कई बार यह भी देखा गया है कि लोगों से "प्राप्त की हुई सहमति" अपूर्ण, गलत या धमकी सहित जानकारी देकर पायी गई है।

निष्कर्ष

- इन सारे मामलों में माना गया है कि अक्षत क्षेत्र का मतलब है " मनुष्यों का पुनर्वास करने से मनुष्य से मुक्त बने क्षेत्र," और अधिकारों में बदलाव ला कर सह अस्तित्व का प्रबंध करने की गुंजाइश का विचार तक किसी ने नहीं किया है।
- इन चार संरक्षित क्षेत्रों में की गई जाँच पड़ताल से पता चलता है कि अक्षत क्षेत्र बनाने से पहले जो शर्तें पूरी करनी होती हैं उन सारी शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। वे या तो अपूर्ण रखी गई हैं या उनकी बिलकुल अनदेखी की गई हैं।
- व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के बारे में FRA के जो प्रावधान हैं उनकी स्पष्ट जानकारी प्रभावित गाँवों तक नहीं पहुँचाई गई है। लोग जहाँ बसे हुए हैं वहीं रहने के विकल्प के बारे में उन्हे बताया नहीं गया है और आवश्यक हो तो सहमति के साथ अधिकारों में कटौती की जाने की गुंजाइश के बारे में भी उन्हे कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी जानकारी पर आधारित उनकी स्वतंत्र सहमति प्राप्त की गई थी।
- जाँच किये गये किसी भी गाँव में दावे दर्ज करने की प्रक्रिया तथा अधिकारों की मान्यता और उनके अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गाँवों में वन अधिकार समिति बनाई गई है और कुछ व्यक्तिगत दावे भी दर्ज किये गये हैं। व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता तो पुनर्वास के लिये आज्ञा के समान समझी जाती है। इस से पहले सह अस्तित्व के बारे में और आवश्यक हो तो (सहमति के साथ) अधिकारों में कटौती की जाने की गुंजाइश के बारे में सोचा भी नहीं गया है।
- जिन संरक्षित क्षेत्रों में वन विभाग ने पुनर्वास योजनाएँ बनाई हैं वहाँ ऐसे कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं जो साबित करें कि ग्राम सभा की सहमति के लिये उनके सामने पुनर्वास योजनाएँ रखी गई थीं। FRA का तथा अधिकारों की मान्यता का कोई उल्लेख इन योजनाओं में नहीं है।
- चारों संरक्षित क्षेत्रों में यह बात स्पष्ट हुई कि लोगों पर किसी एक पुनर्वास योजना को मान लेने के लिये वन विभाग का भारी दबाव है। लोगों को यह भी बताया गया है कि अगर वे विकल्पों में से एक को अभी नहीं चुनेंगे तो भविष्य में उन्हे यह मौका दुबारा नहीं मिलेगा।
- पुनर्वास योजना के लिये ग्राम सभा की सहमति प्राप्त नहीं की गई है। जहाँ पूरे गाँव के साथ चर्चाएँ हुई हैं वहाँ भी सहमति पत्रों पर केवल परिवारों के दस्तखत लिये गये हैं।

सिफ़ारिशें

- पहला कदम यह हो कि वन विभाग और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास की भावना सुनिश्चित हो। बाद में पुनर्वास और सह अस्तित्व जैसे प्रश्नों के साथ साथ संरक्षित क्षेत्र और लोगों के विषय में हर सवाल पर लोकतांत्रिक ढँग से खुले चर्चासत्र होने चाहिये। ऐसे गाँव हमेशा होंगे जिनका पुनर्वास कराया नहीं जा सकता या जो पुनर्वास करना नहीं चाहते, इसलिये स्थान के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को और क्षमताओं को उपयोग में ला कर सह अस्तित्व के आदर्श (प्रारूप) बनाये जाने चाहिये। ताकि अतिमहत्त्वपूर्ण आवास स्थलों में मनुष्य के कम से कम हस्तक्षेप के साथ परिदृश्य के स्तर पर प्रकृति का संरक्षण किया जा सके। समुदायों को साथ ले कर यह प्रक्रिया करनी चाहिये। यह प्रक्रिया लंबी है और इसमें सब का सहयोग आवश्यक है।
- केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और NTCA को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि पुनर्वास योजनाओं के द्वारा CTH के अक्षत क्षेत्र बनाने से पहले सभी कानूनी शर्तों का प्रत्येक पहलू पूरा किया गया हो। प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र में एक

निगरानी समिति स्थापित की जानी चाहिये जिस में महिलाओं के साथ ग्राम सभा के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएँ।

- TR क्षेत्रों और CTH के साथ सारे संरक्षित क्षेत्रों में FRA का कार्यान्वयन उपयुक्त और पारदर्शी ढँग से तुरंत किया जाना चाहिये। कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लिखित रूप में लोगों का प्रमाणिक समर्थन हो। ग्राम सभा में सारी जानकारी और सभाओं के लिखित ब्यौरा उपलब्ध कराये जायें। इसमें पुनर्वास योजना के लिये या वर्तमान स्थल में रहने की सहमति भी शामिल हो।
- अगर किसी गाँव के पुनर्वास की योजना बनाई गई हो और इस गाँव से कोई दावा दर्ज नहीं किया गया हो तो फिर दावे दर्ज न कराये जाने के कारणों का पता लगाने तथा गाँव के लोगों को FRA के प्रावधानों की पूरी जानकारी देने की जिम्मेवारी शासन की होगी। अनुभव संपन्न और विश्वसनीय संस्थानों के साथ मिलकर लोगों को प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जानी चाहिये। पुनर्वास योजना को कार्यान्वित करने से पहले FRA के प्रावधानों के अनुसार अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया को पूरा किया गया है, इस बात को प्रमाणित करने वाला 'सर्टिफ़िकट' हर ग्राम सभा से प्राप्त किया जाना चाहिये।
- सह अस्तित्व और शासन विधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये क्षेत्र के सामाजिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय पहलुओं का अध्ययन किया जाना चाहिये। पर्यावरण वैज्ञानिकों और शोध कर्ताओं के साथ साथ स्थानीय युवाओं को भी इस कार्य में शामिल किया जा सकता है।
- FRA, 2006 और WLPA, 2006 के प्रावधानों ने शासन विधि में लोगों को भागीदार बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल कराने का मौका दिया है और क्षेत्रों को स्थानीय तथा वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी पर आधारित संरक्षण देने का मौका दिया है।
- जो समुदाय स्थानांतरण के लिये राज़ी हैं, उनका पुनर्वास सर्वोत्तम तरीके से करने का प्रयास किया जाना चाहिये। पुनर्वास के लिये स्पष्ट दिशा दर्शक वन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये जाने चाहिये। सारी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जो दस्तावेज़ी प्रमाण पेश करना ज़रूरी हों उनका ब्यौरेवार उल्लेख इसमें शामिल होना चाहिये। 'फ़्यूचर ऑफ़ कॉन्ज़र्वेशन नेटवर्क' द्वारा आयोजित की गयी राष्ट्रीय कार्यशालाओं पर दिये गये सुझावों का तुरंत कार्यान्वयन किया जाना चाहिये। पुनर्वास के लिये बनाये गये 'पैकेज' की कोई 'अंतिम तारीख' नहीं होनी चाहिये और जो समुदाय भविष्य में भी स्वेच्छा से स्थानांतरण करना चाहेंगे उनके लिये भी पैकेज उपलब्ध होना चहिये।
- पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी के लिये बनाई गई समितियों में ग्राम सभाओं के सदस्य, स्थानीय सामाजिक और पर्यावरण विज्ञान की जानकारी रखनेवाले संस्थानों के प्रतिनिधि, शामिल किये जाने चाहिये। इन में ऐसे कुछ लोग होने चाहिये जो समुदायों के साथ बाघों के संरक्षण के कार्य में जुटे हों। पुनर्वास के पहले और बाद में भी समुदाय के मूल स्थान तथा पुनर्वास के स्थल का पर्यावरणीय मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
- पुनर्वास के सामाजिक मूल्यांकन में महिलाओं पर होने वाले प्रभाव के साथ उनकी विशेष ज़रूरतों का मूल्यांकन भी शामिल किया जाना चाहिये।
- सामाजिक लेखापरीक्षा जांच अनिवार्य होनी चाहिये।
- "अक्षत क्षेत्र" की परिभाषा की जांच की जानी चाहिये। वह 'उपभोग रहित' या 'कम उपभोग का' क्षेत्र (जहाँ प्रकृति के संरक्षण का उल्लंघन न करने वाला सुसंगत उपभोग जारी रह सकता है,) होने का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। इसका नतीजा यह होगा कि वन्य जीवों के लिये अधिक व्यापक क्षेत्र का संरक्षण किया जायेगा, क्योंकि भारत में उपभोग रहित क्षेत्रों की कमी होगी और वे छोटे तथा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित होंगे। कानून का कार्यान्वयन करने वालों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि समुदायों के वन में बसे रहने का परंपरागत और कानूनी अधिकार हैं। अगर इन लोगों पर दबाव ड़ाला जाये तो संघर्ष होगा और अंत में प्रकृति के संरक्षण पर ही प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय प्रभावित समुदायों की ज़रूरतों को सामने रख कर उनकी आजीविका को सतत रूप दे कर ही निर्णय प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा।

महत्त्वपूर्ण अँग्रेजी शब्द

Relocation – स्थानांतरण

Relocation & Rehabilitation – पुनर्वास

Critical Tiger Habitats - बाघों के लिये अतिमहत्त्वपूर्ण आवास–स्थल - CTHs

Critical Wild life Habitats - वन्य जीवों के अतिमहत्त्वपूर्ण आवास स्थल – CWHs

The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 - अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ - FRA, 2006

Wild Life (Protection) Amendment Act, 2006 - वन्य जीव (संरक्षण) संशोधित अधिनियम, २००६ - WLPA, 2006

Tiger Reserve - टायगर रिज़र्व – TR

National Tiger Conservation Authority – राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण – NTCA

National Relief and Rehabilitation Policy - राष्ट्रीय राहत और पुनर्वास नीति – R&R Policy/ नीति

कानून की बातें

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६,

और

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधित अधिनियम, २००६,

के तहत

बाघों के लिये अतिमहत्त्वपूर्ण आवास–स्थलों के संदर्भ में समुदायों के अधिकारों की मान्यता और पुनर्वास की वर्तमान स्थिती – एक रिपोर्ट

प्रकाशक : कल्पवृक्ष, अपार्टमेंट 5, श्री दत्त कृपा, 908 डेक्कन जिमखाना, पुणे 411 004

फ़ोन : 91-20-25675450

टेल./फॅक्स : 91-20-25654239

ईमेल : kvoutreach@gmail.com

वेबसाइट : www.kalpavriksh.org

संकलन : श्रीतमा गुप्ता भया और नीमा पाठक ब्रूम
(आशीष कोठारी और मिलिंद वाणी की टिप्पणियों के साथ)

संपादक : मिलिंद वाणी

सलाह एवं संपादकीय सहायता : नीमा पाठक

अनुवाद : अनुराधा अर्जुनवाडकर

भाषा संपादन : विकल समदरिया

अन्य सहायता : उज्वला नलवडे, गोविंद खलसोडे

सहयोग : मेलघाट (महाराष्ट्र) का खोज संस्थान, अलवर (राजस्थान) का कृपाविस संस्थान, नदी घाटी मोर्चा की तथ्य खोजने की रिपोर्ट, बैगा महापंचायत (छत्तीसगढ़) तथा वसुंधरा संस्थान (ओडिशा)

आर्थिक सहयोग : मिज़ेरिओर, आखेन, जर्मनी

निजी वितरण के लिये

प्रकाशित विषयवस्तु (प्रिंटेड़ मॅटर)

बुक पोस्ट

सेवा में –